# मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गांरटी परिषद्, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

क्रमांक/3994/MIS/NR-10/MGNREGA-MP/13 भोपाल, दिनांक 01/05/2013

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक,
   महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.,
   जिला– समस्त, मध्यप्रदेश

विषयः– ई–मस्टररोल जारी करने के संबंध में।

संदर्भः– परिषद का पत्र क्र./506//MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/13 भोपाल, दिनांक 17/01/2013
परिषद का पत्र क्र./2740//MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/13 भोपाल, दिनांक 15/03/2013
परिषद का पत्र क्र.ई–मेल//MIS/NR-10/MGNREGS-MP/13 भोपाल, दिनांक 10/04/2013

——00——

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये केवल इलेक्ट्रॉनिक मस्टररोल उपयोग करने तथा परंपरागत मस्टररोल को जनपद पंचायत में वापिस लेने के निर्देश दिये गये थे। ई–मस्टररोल पर मजदूरों के नाम तथा उपयोग की अवधि तथा कार्य को अग्रिम रूप से दर्ज करना अनिवार्य होता है। ई– मस्टर जारी करने तथा उसके लाभ के संबंध में जिला/जनपद के पदाधिकारियों को निरन्तर प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।

दिनांक 22 अप्रैल 2013 एम.आई.एस. रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो रहा है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के लगभग 03 सप्ताह पूर्ण होने के बावजूद अधिकांश ग्राम पंचायतों के इलेक्ट्रॉनिक मस्टररोल जारी नही किये गये हैं। जनपदवार जारी किये गये इलेक्ट्रॉनिक मस्टररोल का विवरण संलग्न कर प्रेषित है।

योजनांतर्गत मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये माह अप्रैल पीक सीजन होता है, परन्तु जनपदों द्वारा क्रियान्वयन एजेंसियों/ग्राम पंचायतों को मस्टररोल जारी नहीं करने से स्पष्ट होता है कि अधिकांश ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2013–14 में कार्य प्रारंभ नहीं हुये है। यह एक गंभीर एवं चिंताजनक है।

कृपया यह सुनिश्चित करायें कि रोजगार की मांग के आधार पर तत्काल समस्त जनपदों में ई–मस्टर जारी किये जायें।

22/4/13

(डॉ रवीन्द्र पस्तौर)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल